C.F.I.B.
MEDIA FORCE

क्राईम फ्री इण्डिया ब्यूरो का राष्ट्रीय अपराध व खुफिया समाचार पत्र

दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं बिहार से प्रकाशित

क्राईम फ्री इण्डिया

भारत के लोकतंत्र की सुपर पावर मीडिया का अपराध विरोधी राष्ट्रीय आंदोलन

वर्ष-02 | अंक-07 | जनवरी-फरवरी-2019 | विक्रमी संवतः 2075 | मुजफ्फरपुर | प्रधान सम्पादकः डॉ. जसबीर आर्य | सम्पादकः डॉ0 फारुक अंसारी | Helpline : 0800208600 / 09939441934 website : www.crimefreeindiabureau.com | E-mail : cfibforce@gmail.com cfib.bihar@gmail.com | RNI No. : 68947/97

डॉ. आर्य का बिहार में स्वागत

बिहार दौरे पर आए क्राईम फ्री इण्डिया ब्यूरो के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉ. जसबीर आर्य, तथा संगठन के राष्ट्रीय महासचिव माननीय डॉ. मेघा आर्य जी के पटना एयरपोर्ट पर फूल-माला से स्वागत करते हुए सीएफआईबी बिहार के अधिकारी-पदाधिकारीगण।

नवनियुक्त आयुक्तों को बधाई

सीएफआईबी,बिहार

पटना : 1980 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी प्रमोद कु. ठाकुर (डीजीपी बिहार) व भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी नरेन्द्र कु. सिन्हा (सचिव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय) को बिहार राज्य सूचना आयोग का आयुक्त नियुक्त किया गया है। महामहिम राज्यपाल श्री लाल जी टंडन ने नवनियुक्त आयुक्तों को भय या पक्षपात तथा राग या द्वेष रहित होकर तथा संविधान और विधियों की मर्यादा के अनुकूल अपने पद के कर्तव्यों के निर्वहन की शपथ दिलायी। राजभवन में आयोजित शपथग्रहण समारोह में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कु. उपस्थित थे।

ग्लोबल हेल्थ एण्ड मेडिकल इन्स्टिट्यूट के सेन्टर का उद्घाटन

ग्लोबल हेल्थ एण्ड मेडिकल इन्स्टिट्यूट (जी.एच.एम.सी) नई दिल्ली के चेयरमैन डॉ. जसबीर आर्य द्वारा मुजफ्फरपुर में एक सेन्टर का उद्घाटन किया गया। मौके पर डॉ. मेघा आर्या, डॉ. अजीमुल्ला अंसारी, डॉ. रमेश प्रसाद यादव, डॉ. राजेश कुमार, डॉ. सिकन्दर राम, डॉ. फारूक अंसारी उपस्थित थे। सेन्टर का संचालक डॉ. अनवारूल करीम को बनाया गया।

मॉब लिंचिंग खतरनाक ट्रैंड पुलिस सतर्कता जरूरी

डॉ. फारुक अंसारी, एन.एस.आई.एफ.

लोग धर्म की बात करते है, धर्म मानते है धर्म पर चलते है मगर धर्मांध होकर कब तक कटते मरते रहेंगे, कब तक बहता रहेगा इंसानियत का खून जब आदमी ही नहीं बचेगा तो किस बात का धर्म और किस काम का कानून?? इंसानियत के दुश्मन प्यार मोहब्बत की जगह हाथों में खंजर लेकर भाई-भाई में लड़वाते कटवाते धर्म के ठेकेदारों का कौन-सा धर्म है? राजनीतिकों का क्या यही राजधर्म होता है??...धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों से सर्तक रहें। मॉब लिंचिंग एक खतरनाक ट्रैंड है। भरकाउं लोगों के लिए पुलिस सख्त कदम उठाये।

पटना : सीतामढ़ी के गोशाला चौक पर हिंसक झड़प में पीट कर मार डालने और साक्ष्य मिटाने के लिए जलाये गए 80 वर्षीय बुजुर्ग भोरहा गांव निवासी जैनुल अंसारी के रूप में लाश की पुलिस शिनाख्त से जुड़े देश के ऐसे दर्जनों मामले मॉब लिंचिंग के खतरनाक ट्रैंड को दर्शा रहे है।

शेष पृष्ठ 07

जाली पत्रकारों की जल्द होगी गिरफ्तारी

डॉ. मेघा आर्या, चैयरमैन, एन.डब्ल्यू.एफ. नई दिल्ली

दिल्ली : भारत के सूचना प्रसारण मंत्रालय जाली पत्रकारों पर सिकंजा कसने को तैयार है। एक प्रेस ब्रीफिंग में पत्रकारों से बात करते हुये सूचना प्रसारण राज्य मंत्री कनर्ल राजवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि देश में जितने भी प्रेस आई. डी. लेकर घुम रहे लोगों की तत्काल जांच शुरू होगी। इस मामले में दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति पर त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आगे श्री राठौर ने कहा कि कुछ दोषी लोगों के कारण अच्छे, सच्चे एवं ईमानदार पत्रकारों की छवि खराब हो रही है एवं उनके कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। आगे जानकारी देते हुए श्री राठौर ने कहा कि पूरे देश में कुछ पैसा लेकर जाली प्रेस आई.डी बांटने एवं जाली पत्रकार नियुक्ति करने तथा प्रेस के नाम पर ब्लैकमेलिंग करने का धंधा चल रहा है। जिस पर अंकुश लगाना अति आवश्यक हैं। इस संबंध में सभी राज्यों के प्रेस सूचना मंत्रालय को निर्देश जारी कर दिया गया है। आगे उन्होंने बताया कि जो अखबार/पत्रिका भारत सरकार के आर.एन. आई. रजिस्टर्ड हो उसी के द्वारा पत्रकार/संवाददाता की नियुक्ति हो सकती है व केवल उसका सम्पादक ही प्रेस कार्ड जारी कर सकता है। जब न्यूज चैनल के बारे में पत्रकारों ने पुछा तो श्री राठौर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इन्टरनेट पर चल रहे न्यूज पोर्टल के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान सूचना प्रसारण मंत्रालय में नहीं है कोई भी न्यूज पोर्टल एवं केबल (डीस) टीवी पर चल रहे समाचार चैनल किसी भी तरह के पत्रकार की नियुक्ति नहीं कर सकता है और नहीं प्रेस आई.डी. जारी कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह अबैध है एवं उसके विरूद्ध कार्रवाई होनी सुनिश्चित है। श्री राठौर ने आगे बताया कि इन्टरनेट पर न्यूज चैनल चलाने पर रोक नहीं है लेकिन इनको सरकारी सहयोग प्राप्त नहीं होगा।

सीएफ आईबी समाज की आवश्यकता : डॉ. जसबीर आर्य

सीएफआईबी पंजाब

जालंधर/विर्क : ''राष्ट्र का निर्माण हम सबका कर्तव्य है। संघर्षशील मेहनती कार्यकर्ता मिलकर समाज में अमन-शांति जगा सकते है। हम अपराध मुक्त भारत की बात करते है और यह किसी भी समाज की पहली आवश्यकता है। हमारी संगठन क्राईम फ्री इण्डिया ब्यूरो अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में सरकार पुलिस का सहयोग कर रही है।'' पंजाब शाखा उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुये राष्ट्रीय चेयरमैन डॉ. जसबीर आर्य ने उक्त बातें कहीं।

शेष पृष्ठ 03

कौमी एकता जागरूकता कार्यक्रम

डॉ. अनवारुल करीम सीएफआईबी बिहार

मुजफ्फरपुर : क्राईम फ्री इण्डिया ब्यूरो सभाकक्ष में कौमी एकता जागरूकता कार्यक्रम मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश चेयरमैन डॉ. फारूक अंसारी ने की। मौके पर गृह मंत्रालय भारत सरकार एनएफसीएच द्वारा चलाये गए अभियान के बारे में जानकारी दी गई। कौमी एकता के संदर्भ में बोलते हुये डॉ. अंसारी ने कहा कि हमारा देश विभिन्न धर्मो, पंथों, संस्कृतियों का समाहार है और इसमें हर प्रकार के फूल हैं। देश में साम्प्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता और मिलीजुली संस्कृति और राष्ट्रीय भावना पर गर्व करने के लिए और इसे और मजबूत बनाये रखने के लिए कौमी सप्ताह मनाया जाता है। इस दौरान प्रदेश महासचिव डॉ. अनवारुल करीम ने जानकारी दी कि 19 नवम्बर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है और धर्मनिरपेक्षता सम्प्रदायवाद विरोध और अहिंसा के थीम पर बैठकें और गोष्ठिया आयोजित की जाती है। जबकि 20 नवम्बर को अल्पसंख्यक कल्याण दिवस मनाया जाता है।

शेष पृष्ठ 07

डॉ. आर्य ने किया सम्मेलन का उद्घाटन

सीएफआईबी, पंजाब

होशियारपुर : ऑल इण्डिया मेडिकोज सोशायटी के 32वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन केन्द्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार के मानद सलाहकार डॉ. जसबीर आर्य ने की। सोशायटी के संस्थापक डॉ. डी.बी. कपूर की बर्षी पर आयोजित सम्मेलन के बतौर मुख्य अतिथि डॉ. जसबीर आर्य ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुये कहा कि डॉ. बी. डी. कपूर का पूरा जीवन चिकित्सकों के कल्याण व विकास के लिए समर्पित था। उन्होंने हमेशा कमजोर तथा गरीबों की मदद की और होशियारपुर के आन-बान-शान रहे। डॉ. आर्य ने डॉ. बी.डी. कपूर के परिवार के साथ संवेदना जाहिर की और कहा कि कपूर परिवार आज अपनी विरासत पूरी जिम्मेदारी से संभाल रहा है। सम्मेलन में अश्विनी कपूर,रमण कपूर, वीणा कपूर, नीना कपूर शामिल थे।

सीएफआईबी की ओर से आप को और आपके परिवार को नव वर्ष, लोहड़ी, मकर सक्रान्ति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ !

सम्पादकीय

'पत्रकारिता-मिशन' को सलाम

कोई भी पत्रकार छोटा या बड़ा नहीं होता। बस वो अपने जमीर को गिरबी न रखे। कभी एक कथित बाबा के बारे में आप सब टीवी पर देख रहे थे और अखबारों में पढ़ भी रहे थे। मसल पावर और अकूत सम्पति होने के बाबजूद बाबा एक पत्रकार को झुका नहीं पाये। ये उस पत्रकार की दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि सब कुछ जानते हुये भी अपने छोटे से अखबार ''पूरा सच'' में पूरा सच लिखने की कोशिश की। पत्रकार को बाबा के गुंडों के हाथ जान गंवाना पड़ा। आजकल जो खबरे निकल के आ रही है वो ''पूरा सच'' के सम्पादक की देन थी। करोड़ों अनुयायी करोड़ों की सम्पति सारे दुनियावी ऐशो आराम के साधन होने के बाबजूद आज बाबा काल कोठरी में रात काटने को मजबूर है। जब तक पत्रकारिता को मिशन समझने वाले लोग जिन्दा रहेंगे तब तक मुल्क में छोटे मझोले अखबार जिन्दा रहेंगे। क्योंकि पत्रकरिता को मिशन समझने वाले पत्रकार नहीं मरते हैं। और बड़े समाचार पत्रों और मीडिया घरानों में खबरे खुश करने के लिये छापी जाती है। जहां भी रहें अपने मिशन से भटकिये नहीं। असली पत्रकारिता वो ही होती है कि आप सरकार के अच्छे कामों को आवाम तक पहुँचायें। चापलूसी से आप दौलत कमा सकते हैं। इज्जत नहीं कमा सकते। ''पूरा सच'' के एडिटर की शहादत की सीख ये ही होगी कि हम जहां भी गरीब मजलूम पे जुल्म और अन्याय हो तुरन्त उसके खिलाफ आवाज उठायें। चाहे जुल्म करने वाला कितना भी ताकतवर हो। हमें घुटने नहीं टेकने चाहिये।

डॉ. जसबीर आर्य
प्रधान सम्पादक

नागरिक पत्रकारों के सुरक्षा की अनदेखी

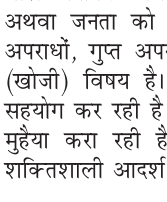

पत्रकार किसी भीड़ का हिस्सा नहीं है। इस चलते उसको आजादी के साथ काम करने से पुलिस आदि रोकती है या किसी प्रकार की ज्यादती या फिर बदसलूकी होती है और किसी प्रकार से अनुचित व्यवहार के चलते पत्रकार आजादी से अपना काम नहीं कर पाता है तो पत्रकारों के साथ ऐसा करने वाले पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज होगी नहीं तो एसएसपी पर कार्यवाही होगी। इस तरह के निर्देश भारतीय प्रेस कॉन्सिल के अध्यक्ष मार्कण्डेय काटजू ने अपने समय में राज्य सरकारों को चेतावनी देते हुए भेजा था तथा निर्देश में कहा था कि किसी स्थान पर हिंसा या बवाल होने की स्थिति में पत्रकारों के साथ नहीं कर सकती। ऐसा होने की स्थिति में बदसलूकी करने वाले पुलिस वाले या अधिकारियों के विरूद्ध मामला दर्ज किया जायेगा। आगे यह भी कहा गया था कि जिस तरह कोर्ट में एक अधिवक्ता अपने मुवक्किल की हत्या का केस लड़ता है पर वह हत्यारा नहीं हो जाता उसी प्रकार किसी सार्वजनिक स्थान पर पत्रकार अपना काम करते हैं पर वे भीड़ का हिस्सा नहीं होते। इसलिए पत्रकारों को उनके काम से रोकना मीडिया के स्वतंत्रता का हनन करना है। इस संबंध में कॉन्सिल ने देश के कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिवों व गृह सचिवों को भेजे निर्देश में स्पष्ट किया था कि पत्रकारों के साथ ऐसी या अद्धसैनिक बलों की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जायेगी। सरकारें यह सुनिश्चित करे कि पत्रकारों के साथ ऐसी कोई कार्रवाही कहीं न हो। पुलिस की पत्रकारों के साथ की गई हिंसा मीडिया की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन माना जायेगा। जो उसे संविधान की धारा 19 एक 'ए' में दी गई है और इस संविधान की धारा के तहत बदसलूकी करने वाले पुलिसकर्मी या अधिकारी पर अपराधिक मामला दर्ज होगा। मगर हाल यह है कि पत्रकारों से बदसलूकी करने वाले पुलिस वाले या अधिकारियों के विरूद्ध मामले में संज्ञान होती है वैसा नागरिक पत्रकारों के साथ क्या है ? आज के माहौल में नागरिक पत्रकारों के सुरक्षा को लेकर भारतीय प्रेस कॉन्सिल को चिंता करनी होगी।

डॉ. मेघा आर्या
प्रबंध सम्पादक

अपनी-अपनी महत्वकांक्षाएँ हैं तो आदमी ईमानदारी और जानमाल का तर्क करे
तुर्रा यह है कि लोगों में 'रूल फॉलो' कराना जरूरी है

आजकल आदमी-आदमी के बीच मनमुटाव, तनाव, द्वेष, ईष्या, दंगे-फसाद होना आम बात है। शहर से गाँव तक पूँजीवादी, सामंती, साम्प्रदायिक शक्तियां अपने वर्चस्व को लेकर समाज-घर-परिवार में द्वंध खड़ा कर रहा है। कुछ लोग रिश्तों की जरूरत खत्म कर अपनी नफा-नुकसान समझ कर इसे औपचारिक बनाने की कोशिश में है। वहीं, आम आदमी जहां सुख से जीने-मरने की एक मात्र संस्था समाज-घर परिवार है जहां मानवीयता पूर्ण रूप से जीवित रहने वाली है, इसे समझने को तैयार नहीं है। इस अप्राकृतिक-दशा के कारण कोर्ट-कचहरी और मुकदमों में रिश्तों का दम घुट रहा है। ऐसी हालत-परिस्थिति में रिश्तों को बचा लेना बड़ी ताकत है।

अहं से पैदा क्रोध और संघर्ष पर ध्यान देना चाहिए। घर-परिवार-समाज में व्याप्त लोभ और कपट से जीवन की सुख-सुविधा पाने की लालसा जो भाई-भाई, अमीर-गरीब जनता के बीच असमानता का बड़ा कारण भी है, व्यक्ति की शांति, सुरक्षा, स्वास्थ्य के लिए खतरे है। लोगों में 'रूल फौलो' कराना जरूरी है।

क्राईम फ्री इण्डिया ब्यूरो (सीएफआईबी) ऐसे किसी प्रकार का अपराध-कानून के विरूद्ध, देश के विरूद्ध, मानवता के विरूद्ध अथवा प्रकृति के विरूद्ध हो उसे अपराध मानकर इसे संज्ञान में लेकर उसके विरूद्ध संघर्ष करती है। या गुप्त रूप से होने वाले अनैतिक अथवा गैर-कानूनी या देश विरोधी-कार्य जिसकी जानकारी सरकार अथवा जनता को नहीं है इसे सामने लाने के साथ-साथ हर प्रकार के संगठित अपराधों, गुप्त अपराधों व राष्ट्रीय षडयंत्रों की खोजबीन सीएफआईबी के खुफिया (खोजी) विषय है। सीएफआईबी सरकार, पुलिस-प्रशासन को कानून व्यवस्था में सहयोग कर रही है। वहीं मीडिया को खबरे तथा सुरक्षा एजेन्सियों को गुप्त सूचनाएं मुहैया करा रही है। आम जनता के परस्पर सहयोग से सुरक्षित, विकसित एवं शक्तिशाली आदर्श भारत का निर्माण क्राईम फ्री इण्डिया ब्यूरो का प्रयास है।

डॉ. फारुक अंसारी, सम्पादक

सशस्त्र बल ध्वजा दिवस देश के दायित्व को याद दिलाने का महत्वपूर्ण अवसर

सशस्त्र बल ध्वजा दिवस शहीदों के साथ साथ वर्दीधारी पुरूषों और महिलाओं को सम्मानित करने के लिए 07 दिसम्बर को मनाया जाता है। वर्ष 1949 से मनाई जा रही सेना की इस परम्परा के तहत देश की सम्मान की रक्षा के लिए हमारी सीमाओं पर बहादुरी से लड़ने वाले पूर्व सैनिकों, दिव्यांग सैनिकों, युद्ध में मारे गए जवानों की विधवाओं ओर उन लोगों के आश्रितों, जिन्होंने मातृभूमि की सुरक्षा, समान और अखंडता के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दिया, की देखलाभ करने हेतु देश के दायित्व को याद दिलाने का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है।

भारत के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पूर्व सैनिकों (ईएसएम) समुदाय के कल्याण और पुनर्वास के लिए भारत सरकार द्वारा 'सशस्त्रा बल ध्वजा कोष' (एएफएफडीएफ) का गठन किया गया है। देश में 6.5 लाख विधवाओं सहित 30 लाख ईएसएम हैं, जिनमें पहले ही सेवानिवृत्ति ले लेने के कारण हर साल इसमें लगभग 60,000 ईएसएम और जुड़ जाते हैं। एएफएफडीएफ के संभावित दाताओं से प्राप्त योगदान का उपयोग कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से ईएसएम समुदाय की आधरभूत आवश्यकताओं के प्रदान करने के लिए किया जाता है।

आम लोगों को 'सशस्त्र बल ध्वजा दिवस कोष' के बारे में जागरूकता पैदा करना और उदारता से योगदान करने के लिए प्रोत्साहित होना चाहिए।

मौलिक कर्त्तव्य

भारत के नागरिक संविधान द्वारा प्रदत केवल मौलिक अधिकार की बात करते है किन्तु यह भूल जाते हैं कि हमारे मौलिक कर्त्तव्य भी है जिसे हमेशा याद रखना है:

- प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शो, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान का आदर करे।
- स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करनेवाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे।
- भारत की प्रभुताएँ एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे।
- देश की रक्षा करे।
- भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे।
- हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरशावली परंपरा का महत्व समझे और उसका निर्माण करे।
- प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे।
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे।
- सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे।
- व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे।
- माता-पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना।

मानव शरीर ही क्या इस संसार में सब कुछ सुव्यवस्थित सुनियोजित है

डॉ. जसबीर कार्य
चेयरमैन, विश्व आयुर्वेद अनुसंधान एवं विकास परिषद

हमने अनेक महान पुरूषों के लिखे उनके अनुभव और कई ग्रन्थों के अध्ययन के बाद जो बातें अपनी जिन्दगी के अनुभव के समावेश से जाना है वह आगे के शब्दों में लिखना उचित समझते हुए यह प्रस्तुत कर रहे हैं। मानवीय काया कितनी अद्भुत कितनी विलक्षण संभाग-शरीर रचना की जिस किसी डॉक्टर, चिकित्सक को जानकारी नहीं होगी वह अपने मरीज की चिकित्सा नहीं कर सकता। कुशल, वैद्य, चिकित्सक जो सप्त धातु और वात, पित्त और कफ के वास्तविक कार्य की जानकारी रखता है ऐसा ज्ञाता ही रोगी को नया जीवन दे सकता है।

यह अटल सत्य है कि मानवीय काया को चलाने वाली शक्ति और है। हमारे ज्ञान हमारी सोंच हमारा दिमागी कार्य की एक सीमा है। लेकिन इस शरीर के अंदर सातों पाट्र्स सातों धातुयें अपने अपने क्षेत्र में कार्यरत है। जैसे हम सो जाते हैं लेकिन इस शरीर को चलाने वाले यंत्र अपना कार्य करते रहते है। इस कड़ी में हम वायुयंत्र, फेफड़ा, दूसरा और महत्वपूर्ण पाचन यंत्र के विषय में लिखना जरूरी समझते हैं। ईश्वर द्वारा कृत इस काया को यदि बिना विकृत किये सुव्यवस्थित रूप से चलने दिया जाये तो सुन्दर स्वास्थ्य तो मिलता ही है, अभिष्ट आत्मिक उद्देश्यों की पूर्ति में भी सहायता मिलती है। देखा जाए तो ज्यादातर मानव अपने स्वास्थ्य को खराब करने का खूद जिम्मेदार होता है। जितनी मात्रा में प्राण वायु आप इस मानवीय काया में विधिपूर्वक ग्रहण करायेंगे उतना ही स्वास्थ्य जीवन आपका स्वास्थ्य और लम्बा रहेगा। मनुष्य एक मीनट में 12 से लेकर 18 बार सांस लेता है। विशेष परिस्थितियों में कम या ज्यादा होना हालात पर निर्भर करता है। प्रत्येक सांस के साथ 300 से लेकर 500 क्यूटिबिक सेंटीमीटर हवा नाक की त्वचा द्वारा शुद्ध होकर 1 पौंड वजनी फेफड़ों में भर जाती है। फेफड़ों की सुक्ष्म ईकाईयां हैं बुलबुलों के आकार के वायुकोष्ठ (एलबियोलाई) ग्रन्थों के मुताबिक जिनकी संख्या करीब 25 करोड़ होती है और उसकी दीवारों का बाहरी क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर होता है। साधारण सांस लेने वाला व्यक्ति जब 100 मीटर की लम्बी दौड़ में भाग लेता है तो 180 लीटर हवा श्वांस के माध्यम से अन्दर खींच सकता है। लचीले स्पंज के जैसे उत्तकों के बने यह विलक्षण फेफड़े परिस्थितियों के अनुसार आठ गुणा तक फैल सकते हैं। जब मनुष्य गहरी सांस लेकर उसे पूरी ताकत से छोड़ता है तो उसे वायटल कैपीसिटी कहते हैं, यह 5000 घन सेंटीमीटर के बराबर होती है। फेफड़ों की कार्य क्षमता जांचने का यह एक महत्वपूर्ण परिक्षण है। फेफड़ों के प्रति मीनट 10 बार फैलने, सिकुड़ने से बाहरी वायु मंडल से ऑक्सीजन अंदर खींचती है और सुक्ष्म रक्त वाहिनियों की दीवाल में बने छिद्रों से रक्त में प्रवेश कर जाती है। इसी समय रक्त में बैठे विकार द्रव्य जो पूरे शरीर के मेटाबोलिज्म के अंतिम अवशेष है कार्बनडाय ऑक्साइड के रूप में रक्त से वायु प्रकोष्ठों में आकर श्वांस से बाहर से बाहर निकल जाते हैं। यह प्रक्रिया हर श्वांस-प्रश्वांस की अवधि में होती रहती है। प्राण तत्व ऑक्सीजन एवं विकास द्रव्य कार्बनडाय ऑक्साइड के परस्पर विनिमय में दो बाधायें हो सकती है। पहला है वायु कोष्ठों का पूरी तरह से फैलना, दूसरा है फैले वायु कोष्ठकों तक रक्त का न पहुंच पाना। पहली स्थिति में अशुद्ध रक्त ऑक्सीजन की तलाश में वायु कोष्ठकों तक पहुंच कर भी उसे नहीं ग्रहण पाना एवं वापस हृदय में भेज दिया जाता है इसे धीरे-धीरे शरीर में प्राण तत्व की कमी होने लगती है। दूसरी स्थिति में ऑक्सीजन तो रक्त में मिलने घुलने को तैयार है, पर वहां रक्त का दूर-दूर तक नामोनिशान ना होने से अथवा रक्त वाहिनियों के मार्ग में अवरोध आ जाने से यह नहीं हो पाता। फलत: ऑक्सीजन प्रश्वांस द्वारा बाहर लौट जाती है। सामान्यत: पहली स्थिति ही अधिक गंभीर है वह वर्तमान में इस प्रतिपादन का केन्द्र विन्दु है।

आगे फेफड़े में रक्त हृदय द्वारा पंप होता है। प्राकृतिक नियम गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के उल्टे वह फेफड़ों में बड़ी एवं छोटी फिर उसमें भी छोटी कोशिकाओं में चढ़ता है। यह रक्त किसी प्रयोजन विशेष से हृदय से भेजा गया होता है। अशुद्ध रक्त अपनी अशुद्धि से मुक्ति पाने तथा अपने साथ बाहरी वायुमंडल का शुद्ध घटक ऑक्सीजन लेने आया होता है। हमारी सांस लेने की पद्धति उथली होने के कारण हम प्रति सांस में कुल 45-50 प्रतिशत वायु कोष्ठकों को ही खोल पाते है। झुका छाती, उथली सांस, संकुचित पसलियां फेफड़ों के उपरी एक तिहाई भाग को श्वांस-प्रश्वांस की प्रक्रिया से प्रभावित नहीं होने देते। फलत: बंद अधखुले वायु कोष्ठकों तक इतनी उंचाई पर पहुंचा अशुद्ध रक्त निराश होकर वापस लौट जाता है, इसके दुष्परिणाम होते हैं। रक्त के साथ आये अथवा सांस से प्रवेशित आक्रमणकारी जीवाणु-विषाणुओं का शरीर में प्रवेश करने का एक अच्छा माध्यम मिल जाता है। यहां ऑक्सीजन के अभाव से तमोगुण प्रभाव के असर खूब बढ़ते, पनपते हैं। फेफड़ों में होने वाले क्षय रोग में इस स्थान का अनुपात 80 प्रतिशत होता है। यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि यहाँ जीवाणुओं का आक्रमण-शक्ति नहीं जीत पाती है। वर्ना शरीर में ही अपनी विकृत कार्य पद्धति से उन्हें घुसने, पनपने का अवसर दिया है। फेफड़ों के बीच के एवं निचले भागों में रक्त प्रवाह कोष्ठकों के फैलाव में संगति होने वहां इन जीवाणुओं की चल नही पाती।

दूसरा प्रभाव यह पड़ता है कि ऐसा अशुद्ध रक्त जब बैरंग लौटता है तो रक्तवाहिनियों की बनावट के कारण शुद्ध रक्त के साथ मिलकर पूरे शरीर की लगभग सात अरब कोशिकाओं में वापस भेज दिया जाता है, बार-बार की इस प्रक्रिया के कारण शरीर में खाद्य पदार्थों के जलने से बचे अवशिष्ठ विकार द्रव्य एकत्र होते चले जाते हैं। जो मनुष्य में आलस्य, प्रमाद, मानसिक कमजोरी, आशक्ति तथा व्याधियों से लड़ने की क्षमता निम्न होकर असमर्थता को जन्म देते हैं। मानव द्वारा सहज रूप में अपना ली गई यह श्वांस पद्धति रोगों के कारण को स्वयं में न ढुढ़ कर बाहर खोजती है, और जीवाणुओं को दोष देती है और फिर चिकित्सा के अनगिनत उपचार क्रमों को आमंत्रित करती है।

ग्लोबल हेल्थ एण्ड मेडिकल इन्सिटिट्यूट, नई दिल्ली का एक ट्रेनिंग सेंटर दसुआं व तलबाड़ा (पंजाब) में GHMC के चेयरमैन डॉ0 जसबीर आर्य जी द्वारा खोला गया। जिसका संचालक डॉ0 मनेंन्द्र सिंह तथा डॉ0 अजय शर्मा को बनाया गया।

NATIONAL WOMEN FORCE (NWF)
राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण अभियान

बलात्कार पर कानून :

धारा 375, 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ भादवि।
धारा 375 भारतीय दण्ड संहिता

जब कोई पुरूष किसी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध संभोग करता है तो उसे बलात्कार कहते है। संभोग का अर्थ-पुरूष के लिंग के योनी में प्रवेश होना ही संभोग है। किसी भी कारण से संभोग क्रिया पूरी हुई हो या नहीं वह बलात्कार ही कहलायेगा। बलात्कार तब माना जाता है यदि कोई पुरूष किसी स्त्री के साथ निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी भी परिस्थिति में मैथुन करता है वह बलात्कार करता है।

यह कहा जाता है-

- उसकी इच्छा के विरूद्ध
- उसकी सहमति के बिना
- उसकी सहमति डरा धमका के ली गई हो
- उसकी सहमति तब ली गई हो जब वह दिमागी रूप से कमजोर या पागल हो।
- उसकी सहमति तब ली गई हो जब वह शराब या अन्य नशीले पदार्थ के कारण होश में नहीं हो।
- यदि वह 16 से कम उम्र की है, चाहे उसकी सहमति से हो या बिना सहमति से
- 15 वर्ष के कम उम्र की पत्नी के साथ पति द्वारा किया गया संभोग भी बलात्कार है।

जीरो एफ.आई. आर.

किसी संज्ञेय अपराध के हो जाने की सूचना मिलने पर पुलिस एफ. आई.आर. दर्ज करेगी। यदि ऐसा लगता है कि अपराध उसी पुलिस थाने के अधिकर क्षेत्र के बाहर हुआ है तब जीरो एफ.आई.आर. दर्ज किया जाना आवश्यक है।

यदि एफ. आई. आर. दर्ज होने के बाद कि हकिकत में यह पता चलता है कि यह मामला किसी दूसरे थाने के अधिकार क्षेत्र का है जब एफ.आई.आर. को उस पुलिस थाने में भेजा जा सकता है।

भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) के धारा के अनुसार जीरो एफ. आई.आर. दर्ज करने वाली पुलिस को इसे आवश्यक रूप से इसे संबंधित पुलिस थाने में भेजना पड़ेगा।

किसी अपराध या घटना के होने पर यदि यह तय करने में देरी होती है कि मामला किस थाने के अधिकार क्षेत्र तो इससे पीड़ित व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है और इसके कारण अपराधी को भागने का मौका मिलने का खतरा भी बढ़ जाता है।

यदि किसी संज्ञेय अपराध के मामले में जीरो एफ.आई. आर. या सामान्य दर्ज नहीं की जाती है तो इसे लिए संबंधित पुलिस कर्मचारी या अधिकारी पर आई.पी.सी. की धारा के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है विशेष कर यदि यह एक यौन अपराध का मामला है।

उसे विभागीय जाँच द्वारा भी दंडित किया जा सकता है।

न्यायालय ने दिया बलात्कार पीड़ितों की पहचान उजागर नहीं करने का निर्देश

नरेन्द्र कुमार डी.टी.एन.नयी दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने बलात्कार और यौन हिंसा के नाम और पहचान उजागर नहीं करने का निर्देश देते हुये कहा है कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे समाज में बलात्कार पीड़ितों के साथ 'अछूत' जैसा व्यवहार किया जाता है।

न्यायमुर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को निर्देश दिया कि बलात्कार और यौन हिंसा पीड़ितों की पहचान किसी भी रूप में उजागर नहीं किया जाए।

शीर्ष अदालत ने कहा कि पुलिस बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामलों,ऐसे मामले भी जिनमें आरोपी नाबालिग हों, की प्राथमिकी सार्वजनिक नहीं करें।

राष्ट्र सेवा एवं स्वरोजगार योजना

क्राईम फ्री इण्डिया ब्यूरो की बिहार शाखा को प्रत्येक जिले के थाना क्षेत्र में ऐसे कुशल, अनुभवी एवं परिश्रमी पत्रकार, लेखक, जासूस, इंवेस्टीगेटर, समाज सेवक, प्रचारक व प्रबंधक आदि चाहिये। जो सीएफआईबी के विविध कायक्रमों को गाँव-गाँव में संचालित कर राष्ट्र सेवा के साथ स्वरोजगार भी प्राप्त कर सके। कृपया इच्छुक व योग्य व्यक्ति अपने वायोडाटा के साथ शीघ्रति कार्यालय में सम्पर्क करें। धन्यवाद

निवेदक-डॉ. फारुक अंसारी, क्राईम फ्री इण्डिया ब्यूरो बिहार, मो.-800 208 6600
e-mail : cfib.bihar@ gmail.com, website : www.crimefreeindiabureau.com

होशियारपुर (पंजाब) में आयोजित आयुर्वेद सम्मेलन में विशेष अतिथि के तौर पर पहुंचे केन्द्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार के मानद विशेषज्ञ डॉ0 जसबीर आर्य जी कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये।

छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि नियुक्त

जांजगीर, चांपा। क्राईम फ्री इण्डिया ब्यूरो केन्द्रीय मुख्यालय नई दिल्ली के जनरल सेक्रेरी डॉ0 मेघा आर्य ने चांपा निवासी विजय भूषण सोनी को छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधि नियुक्त किया है। डॉ0 आर्य ने श्री सोनी से सीएफआईबी के कार्यों को पूरी निष्ठा के साथ गति देने की अपेक्षा की है। इधर, श्री सोनी का कहना है कि 'अपराध मुक्त भारत' के निर्माण में पूरी लगन और निष्ठा के साथ कार्य करेंगे। उन्हें मिली जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करेंगे।

हिन्दू-मुस्लिम एकता का मिशाल : मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज थाना अन्तर्गत रामपुर स्थित शिव मंदिर।

कहा जाता है कि 100 साल पहले साहेबगंज निवासी समतोला मियां ने इस शिव मंदिर का निर्माण कराया था जहाँ शिवरात्री के मौके पर हर वर्ष मेला लगता है। वहीं साहेबगंज के इदगाह की जमीन बच्चू साह ने दान दिया था। जहां आज भी ईद-बकरीद की नमाज अदा की जाती है। हिन्दु-मुस्लिम एकता का यह सुन्दर मिशाल विरले कहीं मिलता है।

सीएफआईबी की एक स्पेशल टॉस्क फोर्स कमांडर मनव दास के नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा प्रशिक्षण केन्द्र में भागीदारी करते हुए।

डिजिटल मीडिया वर्क शॉप एवं ऑपरेशन बेस्ट ह्वाट्सएप ग्रुप के एडमिन सीनियर फोटोग्राफर नरेन्द्र कुमार ('सीएफआईबी व दिल्ली टाईम्स') को सर्टिफिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर IPCL नई दिल्ली के एडिटर चीफ नरेन्द्र भंडारी व प्रेजिडेंट अनूप चौधरी समेत गणमान्य व्यक्ति एवं साथी मीडिया पत्रकार उपस्थित थे।

पृष्ठ-1 का शेष

सीएफआईबी समाज की आवश्यकता....

सीएफआईबी पंजाब व ग्लोबल एण्ड मेडिकल कांउन्सिल नई दिल्ली के संयुक्त तात्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को मोमेंटो प्रशस्ति-पत्र देकर राष्ट्रीय चेयरमैन माननीय डॉ. जसबीर आर्य द्वारा सम्मानित किया गया। मौके पर सीएफआईबी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. आर.के. पाण्डेय ने कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापित किया ।

होशियारपुर (पंजाब) में 'विश्व आयुर्वेद अनुसंधान एवं विकास परिषद्' के कार्याकर्त्ताओं को सम्मानित करते हुये नेशनल चेयरमैन माननीय डॉ0 जसबीर आर्य।

।। नारी तू नारायणी भी तू चंडी भी तू।।

महिला सेवा-सुरक्षा-सहायता कार्यक्रम

★ क्या आपको दहेज प्रताड़ना दी जा रही है?
★ क्या आपका यौन शोषण किया जा रहा है?
★ क्या आप किसी जुर्म-जुल्म-जबर की शिकार है?
★ क्या आप के साथ आपके पति या सुसराल द्वारा घरेलु हिंसा की जा रही है?
★ क्या आपको डराया/धमकाया/मारा पीटा जा रहा है?
★ क्या आप गरीब विधवा या तालाक शुदा महिला है और स्वयं आत्मनिर्भर बनना चाहती है?
★ क्या आप बेरोजगार या कम आय वाली महिला है और आर्थिक उन्नति करना चाहती है?
★ क्या आप एक शिक्षित महिला है और अपना कैरियर बनाना चाहती है?
★ क्या आप अविवाहित युवती है और कोई योग्य वर चाहती है?
★ क्या आप विकलांग / अशक्त महिला है और कुछ मदद चाहती है?
★ क्या आप कमजोर, लाचार या असहाय महिला है और कोई सहारा चाहती है?
★ क्या आप के साथ किसी लड़के या लड़को के समुह अथवा सड़क छाप मंजनूओं या आवारा - लोफर - लुच्चों अथवा मनचलो द्वारा छेड़खानी/पीछा/जबरन रास्ता रोकना/ भद्दे कमेंट या कोई अभद्र व्यवहार तो नही किया जा रहा है?
★ क्या आप सम्पन्न/सक्षम महिला है और दीन-हीन (बेसहारा) महिलाओ की मदद करना चाहती है?
★ क्या आप Social Activist है और Women Empowerment के लिये कार्य करना चाहती है?

यदि हाँ! तो आप अपने पूरे विवरण के साथ शीघ्र हमारे कार्यालय से सम्पर्क करें:-

महिलाओ के कल्याण-विकास व सशक्तिकरण की दिशा में समर्पित संस्था

NATIONAL WOMEN FORCE
राष्ट्रीय महिला सेना

National HQ : Plot No. 4, Chandra Park (Opp. NSIT), Dwarka Mod Highway, New Delhi-110078
Helplines : 09968004686, 09210460484, 09350082541 Tele: 011-25333383
Email: mediaforceindia@gmail.com Website: www.nationalmediaforceindia.com

।। यत्र नारी पूज्यंते तत्र देवता रमणते।।

सी. एफ. आई. बी. सूचना पट

केन्द्रीय कार्यालय से धोखा न करें

कोई भी सदस्य/कार्यकर्त्ता/अधिकारी सी.एफ.आई.बी. केन्द्रीय कार्यालय के साथ अपने निजी स्वार्थ के चलते धोखा-लालच न करे। क्योंकि यदि बाद में किसी सच्चाई का पता चलने पर उसका कैरियर तबाह हो सकता है। सी.एफ.आई.बी. का सूचना तंत्र बहुत मजबूत है कि सी गलत/चालाकी भरे कार्य की भनक केन्द्रीय कार्याल को लग ही जाती है। पहले भी कुछ लोगों ने ऐसी मूर्खता की है जिसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा है। अतः सी.एफ.आई.बी. में अपने लम्बे व सफल कार्यकाल की दृष्टि से कार्य करें।

वाहन प्राधिकार पत्र प्राप्त करें

सभी शाखाओं व वरिष्ट कार्यकर्ताओं का सूचित किया जाता है कि यदि आप अपने निजी वाहन पर सी.एफ.आई.बी. का मोनोग्राम व स्टीकर लगाना चाहते हैं तो आप पहले अपने वाहन की सेवाएं जनहित में संगठन को प्रदान करें तभी आपको वाहन अथॉरिटी लेटर दिया जायेगा। बिना प्राधिकार के वाहन पर स्टीकर अमान्य व गैर कानूनी माना जायेगा। वाहन के पकड़े जाने पर हम जिम्मेदार नहीं होंगे।

कार्यालय प्रभारी

सी.एफ.आई.बी. डिटैक्टिव सर्विस

प्राईवेट डिटैक्टिव के क्षेत्र में तेजी से उभरता हुआ सी.एफ.आई.बी. एक ऐसा नाम है जो मर्डर, ट्रक हाईजैकिंग, हवाला, डकैती तथा सरकारी व गैर सरकारी विभागों में फैले भ्रष्टाचार एवं राष्ट्रद्रोहियों की गुप्त सूचनाएं एकत्रित करने में माहिर है। कोई भी वाजिब दामों पर इसकी सेवाएं ले सकता है।

सी.एफ.आई.बी. को आवश्यकता है

सी.एफ.आई.बी. को ऐसे समाजसेवियों की आवश्यकता है जो देश की आंतरिक सुरक्षा हेतु खुफिया मीडिया यानी क्राईम रिपोर्टिंग, जासूसी, फोटोग्राफी, खोजी पत्रकारिता एवं सी.एफ.आई.बी. की कानूनी सेवाओं के अन्तर्गत कार्य कर सकें।

इच्छुक व्यक्ति आज ही सम्पर्क करें। रोजगार के साथ-साथ परोपकार भी कमाएं।

राष्ट्र की रक्षा, सेवा, विकास हेतु सी.एफ.आई.बी. से जुड़ें सी.एफ.आई.बी. मीडिया का राष्ट्रीय आन्दोलन

1. क्या आप नाम-पहचान-पावर प्राप्त करना चाहते हैं ?
2. क्या आप किसी अपराध, अन्याय हिंसा या भ्रष्टाचार के शिकार हैं ?
3. क्या आप किसी अपराधी, देशद्रोही, भ्रष्टाचारी को जानते हैं ?
4. क्या आप देश की सामाजिक बुराईयां दूर करना चाहते हैं ?
5. क्या आपके पास देश व समाज सुधार की कोई योजना है ?
6. क्या आप राष्ट्र, समाज व जनता की सेवा करना चाहते हैं ?
7. क्या आप कोई कानूनी सहायता या सलाह लेना चाहते हैं ?
8. क्या आप बेरोजगार या कम आमदनी वाले व्यक्ति हैं ?

यदि हाँ, तो शीघ्र पूरे विवरण के साथ आप हमारे कार्यालय में मिलें। नोट : गोपनीय सूचना देने पर आपका नाम गुप्त रखा जाएगा

केन्द्रीय कार्यालय

प्लाट नं0 4, चन्द्रा पार्क
(NSIT के सामने एवं
हनुमान मूर्ति के पास) द्वारका
मोड हाई वे, नई दिल्ली-110078

उप-कार्यालय

डोगरा क्लीनिक, राज नगर-2,
निकट नया गुरूद्वारा) पालम
कालोनी, नई दिल्ली-110077

महत्वपूर्ण दूरभाष

1. हेल्पलाइन-09868422283
2. सदस्यता प्रभाग-09968004686

whatsapp No.: 82851-47164, 96503-80366

वैब साईट :

www.crimefreeindiabureau.com
www.crimefreeindia.com
e-mail: cfibforce@gmail.com

कार्यालय समय

सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक
रविवार अवकाश

नोट-आगन्तुकों से निवेदन है कि कार्यालय में आने से पूर्व कार्यालय को सूचित करें।

याद रखे, देश में समाज, धर्म, कर्म, से हम सब एक है।

केन्द्रीय संपादक मण्डल

1. प्रधान संपादक - डॉ0 जसबीर आर्य
2. विशिष्ट संपादक - संतराम काण्डा
3. संयुक्त संपादक - डॉ0 एम.एस. चौधरी
4. प्रबंध संपादक - डॉ0 मेघा आर्या
5. सलाहकार संपादक - डॉ0 एस. राम
6. उपसंपादक - मुकेश गुप्ता
7. सह संपादक - एन.के. शर्मा, नवल किशोर
8. मुख्य संपादक - प्रधुम्न बिधुरी, नरेश बिधुरी
9. अपराध संवाददाता- सुभाष पुण्डीर, राकेश जुनैजा
10. विशेष संवाददाता -जे.पी. पाण्डेय, डॉ0 आर.के. पाण्डेय
11. प्रेस फोटोग्राफर- नरेन्द्र एवं लीला शंकर पाण्डेय
12. व्यवसायिक प्रबंधक - सुशील कुमार वालिया
13. कार्यालय प्रभारी - ममता ठाकुर
14. प्रचार एवं विज्ञापन प्रतिनिधि - हरिप्रसाद यादव, पी.पी. सिंह आर.के.जेटली, संजय कुमार, जितेन्द्र कुमार

कानूनी सलाहकार

एडवोकेट विशाल सिन्हा (सुप्रीम कोर्ट)
एडवोकेट हंसराज (दिल्ली हाइकोर्ट)
एडवोकेट वैधनाथ शाह (रोहिणी कोर्ट)
एडवोकेट डी.के. पंचाल (तीस हजारी कोर्ट)
एडवोकेट नवीन तिवारी (द्वारका कोर्ट)
एडवोकेट एस.एम.हुसैन (पटियाला हाउस कोर्ट)
एडवोकेट राकेश शर्मा (कडकडनुमा कोर्ट)
एडवोकेट सी.एल. पॉल (साकेत कोर्ट)

आवश्यक सूचना

संगठन से जुड़े शाखा/सदस्यों को सूचित किया जाता है कि अपने भर्ती के बारे में सूचना संबंधित पुलिस थाने, पुलिस अनुमंडल, जिला पुलिस, जिलाधिकारी, डी0पी0आर0ओ0 को अवश्य दें, इसकी जानकारी राज्य मुख्यालय को सुलभ करावें। समयावधि के भीतर आई-कार्ड का नवीनीकरण करायें अन्यथा, आप किसी स्वयं जबाबदार होंगे।

सीएफआईबी बिहार

अनरजिस्टर्ड डॉक्टरों हेतु सूचना

- क्या आप आयुर्वेद, युनानी, होम्योपैथी या एलोपैथी चिकित्सा के कुशल व अनुभवी अनरजिस्टर्ड प्रेक्टिशनर हैं ?
- क्या आप अपने चिकित्सा व्यवसाय को विधिमान्य करना चाहते है? यदि हाँ, तो आप भारत सरकार, **WHO** व सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रमाणित हमारे **Certified Medical Practitioner (CMP)** बनकर अपनी सम्बंधित पैथी में खुलकर चिकित्सा अभ्यास /व्यवसाय करें।

अतः CMP प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु शीघ्र सम्पर्क करें।

WARDC INSTITUTE OF ALLIED HEALTH SCIENCE
Recognised By:
MINISTRY OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT, GOVT. OF INDIA, C.R. No. A-96169/2013
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY, GOVT. OF INDIA, TMA No. 2060457/2010
SUPPORTED BY: MINISTRY OF HEALTH , GOVT. OF INDIA
केन्द्रीय कार्यालय: प्लॉट न. 4, चन्दा पार्क, द्वारका मोड हाईवे (NSIT के सामने) नई दिल्ली-110078
हेल्पलाइन: 09868422283, 09654886532, 09212412283 Whatsapp: 9650380366
ईमेल: waradc@gmail.com वैबसाइट: www.worldayurvedresearch.com
NOTE:- KINDLY CONTACT FOR FRANCHISE OPENING & ADMISSIONS

DELHI TIMES NEWS PRESS DTN

क्या आप प्रैस रिपोर्टर (पत्रकार) बनना चाहते हैं ?

आईये! हम आपका स्वागत करते है यदि आप मीडिया **(Press)** के माध्यम से जनता -समाज-देश की सेवा करना चाहते है तो हम आप को दिल्ली टाईमस न्यूज **(DTN)** नैटवर्क से जुड़ने का एक बेहतरीन मौका देगें। **DTN** में आप अपनी रूचि व योगयतानुसार पत्रकारिता का कोई भी क्षेत्र जैस राजनीति, समाज, अपराध, धर्म, विज्ञान, कला, शिक्षा, साहित्य, स्वास्थ्य, आर्थिक, खेल या मनोंरजन आदि में से किसी एक विषय में अपने इलाके से रिपोर्टिंग /कवरेज कर अपनी सूचनाऐ/समाचार मीडिया व सरकार तक पहुंचा सकते है। इच्छुक है तो सम्पर्क करें।

राष्ट्रीय एकता की पहचान

हैलो, हाय, नमस्ते
छोड़ें एक दूसरे को
जय हिन्द बोले।

नेशनल मीडिया फोर्स

हमारा लक्ष्य
राष्ट्र रक्षा जन सेवा

वतन की रक्षा अपने प्राणों से

मीडिया फोर्स के सदस्य बनने एवं इसकी शाखा खोलने हेतू संपर्क करें

स्वत्वाधिकारी क्राईम फ्री इण्डिया ब्यूरो के लिए प्रकाशक व मुद्रक डॉ0 फारुक अंसारी द्वारा भगवती ऑफसेट प्रिंटर्स प्रेस, पुरानी बाजार, मुजफ्फरपुर से छपवाकर क्राईम फ्री इण्डिया कार्यालय, साहेबगंज, मुजफ्फरपुर से प्रकाशित किया। संपादक : डॉ0 फारुक अंसारी **RNI No. 68947/97**, सर्वाधिकार सुरक्षित)

website : www.crimefreeindiabureau.com
e-mail: cfibforce@gmail.com
cfib.bihar@gmail.com

नोट : इस अंक में प्रकाशित सामग्री से सम्पादकीय व प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। प्राप्त स्पष्टीकरण प्रकाशित किया जायेगा। विवादों का निपटारा सक्षम न्यायालयों और फोरमों में ही किया जायेगा। अखबार में प्रकाशित किसी भी सामग्री के विरुद्ध कोई आपत्ति/चुनौती या पूछताछ प्रकाशन के एक माह के अंदर ही स्वीकार की जाएगी अन्यथा नहीं।

पत्रकारों/समाज सेवकों का आहवान्

- क्या आप पत्रकार का नेतृत्व करना चाहते है?
- क्या आप पत्रकारों के हक और अधिकार के लिये लड़ना चाहते है?
- क्या आप पत्रकारों की सुरक्षा/मदद हेतु अपना योगदान देना चाहते है?
- क्या आप पत्रकारों की समस्याओ/शिकायतों को सरकार/जनता के सामने रखना चाहते है?
- क्या आप मीडिया में आगे बढ़ना और पत्रकारिता में कुछ नया सीखना चाहते है?
- क्या आप अपने आपको असुरिक्षत व कमजोर महसुस करते है?
- क्या कहीं आपको डराया, धमकाया या दबाया जा रहा है?
- क्या आप मीडिया को लोकतंत्र की सुपर पॉवर बनाना चाहते है?
- क्या आप मीडिया की बिखरी ताकत को संगठित करना चाहते है?

यदि हाँ, तो नेशनल मीडिया फोर्स में आपका स्वागत है

नेशनल मीडिया फोर्स (NMF) मीडिया व पत्रकारों की सुरक्षा, कल्याण, विकास, उन्नति व सेवा मे समर्पित एक शक्तिशाली राष्ट्रीय संगठन है। यदि आप मीडिया में कुछ विशेष करना या बनना चाहते है तो यह मंच आपके लिये बेहतरीन साबित हो सकता है। अतः आप **नेशनल मीडिया फोर्स (NMF)** से स्वयं जुड़े तथा औरो को भी जोड़े साथ ही अपने जिले में **नेशनल मीडिया फोर्स (NMF)** की एक शाखा का गठन कर अपनी नेतृत्व क्षमता, प्रतिभा व व्यक्तिव को एक नई पहचान दें।

कृपया मीडिया फोर्स के प्रदेश /जिला / ब्लाक अध्यक्ष बनने हेतु शीघ्र सम्पर्क करें:-

NATIONAL MEDIA FORCE
The Power of Media & Society
Office: Plot No.4, Chandra Park, (Opp. NSIT)
Dwarka Mod Highway, New Delhi-110078
Helplines: 09968004686, 09350082541, 09210460484, 08745872952
E-mail: mediaforceindia@gmail.com
Website: www.nationalmediaforceindia.com

बिहार मुख्यालय : क्राईम फ्री इण्डिया ब्यूरो
R/O : H-001/00152, द्वितीय तल, जेल चौक, चन्दवारा, मुजफ्फरपुर-1
पता (का0) : साहेबगंज, पो0-करनौल, जिला-मुजफ्फरपुर, बिहार
Helpline : 08002086600, 06223-274100, Whatsapp : 09939441934, facebook : cfib.bihar
website : www.crimefreeindiabureau.com, e-mail : cfib.bihar@gmail.com

पृष्ठ-05 का शेष

.....बिहार में रिश्वत लेने का पर्दाफाश-रिकॉर्ड

18.07.18 को निगरानी थाना कांड संख्या-028/18 में 30,000 रिश्वत लेते परमानन्द सिंह, कनीय अभियंता नगर परिषद, औरंगाबाद जिला-औरंगाबाद चितौड़ नगर, नगर थाना, औरंगाबाद स्थित अजय सिंह के आवास से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

07.06.18 को निगरानी थाना कांड संख्या-025/18 में 1,50,000 रिश्वत लेते वीरेन्द्र कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी सह-महा प्रबंधक,समेकित सहकारी विकास परियोजना,जिला-औरंगाबाद को यू.एस. प्रसाद, योधानगर औरंगाबाद के मकान स्थित प्राईवेट आवास से एवं शंभू कुमार, कार्यालय सहायक, समेकित सहकारी विकास परियोजना, नागा बिगहा,जिला-औरंगाबाद को 50,000 रिश्वत लेते नागा बिगहा,जिला-औरंगाबाद से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

05.06.18 को निगरानी थाना कांड संख्या-024/18 में 50,000 रिश्वत लेते श्रीमती रूबी कुमारी, पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय, रतनी फरीदपुर, जिला-जहानाबाद स्टेशन के मुख्य गेट के सामने मेन रोड से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

05.06.18 को निगरानी थाना कांड संख्या-023/18 में 20,000 रिश्वत लेते नथुनी राम, पुलिस अवसर निरीक्षक, धनरूआ थाना, जिला-पटना धनरूआ थाना परिसर रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

10.05.18 को निगरानी थाना कांड संख्या-019/18 में 10,000 रिश्वत लेते राम नरेश मित्रा, अमीन, विदुपुर अंचल, जिला-वैशाली अंचल कार्यालय परिसर विदुपुर से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

27.04.18 को निगरानी थाना कांड संख्या-018/18 में 10,500 रिश्वत लेते सतीश कुमार, प्रधान सहायक, जिला मतस्य पदाधिकारी का कार्यालय, कटिहार, जिला-कटिहार को अपने कार्यालय कक्ष से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

19.04.18 को निगरानी थाना कांड संख्या-017/18 में 20,000 रिश्वत लेते राज कुमार राम, कार्यालय परिचारी, अनुमंडल पदाधिकारी का कार्यालय, जिला-गया, गया (सदर) के गेट पर से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

20.03.18 को 10,000 रिश्वत लेते अश्विनी कुमार, अंचलाधिकारी, कतरी सराय, जिला-नालंदा स्थित अपने कक्ष से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

23.02.18 को 13,500 रिश्वत लेते प्रफुल्ल कुमार झा, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, बेनीपुर, जिला-दरभंगा कृषि कार्यालय के सामने, बेनीपुर से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

18.01.18 को 20,000 रिश्वत लेते मो0 मंसूर आलम, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, अररिया को ए0डी0बी0 चौक अररिया स्थित आरोपी के किराये के आवास सह-नीजि कार्यालय से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

04.01.18 को 10,000 रिश्वत लेते रमेश दत्त पाण्डेय, पुलिस निरीक्षक, मीनापुर अचंल, जिला-मुजफ्फरपुर को अंचल कार्यालय मीनापुर से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

जनहित में जारी - रिश्वत मांगने से संबंधित शिकायत कार्यालय अवधि में निगरानी ब्यूरो पटना के दूरभाष सं0- 0612-2215043, 0612-2215344, 7765953261 एवं 9431079598 पर की जा सकती है।

अनरजिस्टर्ड डॉक्टरों हेतु सूचना

- क्या आप आयुर्वेद, युनानी, होम्योपैथी या ऐलोपैथी चिकित्सा के कुशल व अनुभवी अनरजिस्टर्ड प्रेक्टिशनर है ......?
- क्या आप अपने चिकित्सा व्यवसाय को विधिमान्य करना चाहते है.....?

यदि हाँ ! तो आप भारत सरकार,WHO व माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाईन्स के अनुसार हमारे **Certified Medical Practitioner (CMP)** बनकर अपनी सम्बंधित पैथी में खुलकर चिकित्सा अभ्यास\ व्यवसाय करें।

अतः CMP प्रमाण-पत्र करने हेतु शीघ्र सम्पर्क करें :-

GLOBAL HELTH & MEDICAL COUNCIL

RECOGNISED BY:
MINISTRY OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT, GOVT. OF INDIA, C.R NO. A-96169/2013
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY, GOVT. OF INDIA, TMA NO. 2060457/2010
SUPPORTED BY: MINISTRY OF HEALTH, GOVT. OF INDIA
केन्दय कार्यालयः प्लॉट न, चन्दा पार्क, द्वारका मोड हाइवे (NSIT के सामने) नई दिल्ली - 110078
हेल्पलाइनः 09868422283, 09654886532, 09212412283 जिंचचः 9650380366
ईमेलः waradc@gmail.com वैबसाइटः www.worldayurvedresearch.com
NOTE:- KINDLY CNTACT FOR FRANCHISE OPNING & ADMISSION

आयुर्वेद मे रोजगार भी-परोपकार भी

☆ क्या आप आयुर्वेद में अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते है?
☆ क्या आप आयुर्वेदिक/हर्बल उपचार पद्धति सीखना चाहते है?
☆ क्या आप आयुर्वेद शिरोमणि पत्रिका के पत्रकार या ब्यूरो चीफ बनना चाहते है?
☆ क्या आप आयुर्वेदिक/हर्बल/यूनानी चिकित्सा पद्धति के अनरजिस्टर्ड किन्तु अनुभवी व गुणी ज्ञानी प्रेक्टिशनर है? तो आप WARDC में सूचीबद्ध हो कर लाभ उठाये।
☆ क्या आप आयुर्वेदिक चिकित्सा/दवा व्यवसाय या हर्बल कृषि से जुड़े हुये है?
☆ क्या आप आयुर्वेदिक औषधी निर्माता है? और क्या आप हमारे नेटवर्क के द्वारा अपने सभी उत्पाद व औषधीयां बिकवाना चाहते है?
☆ क्या आप WARDC के परामर्शदाता/एजेंट/बिजनेस पार्टनर बनना चाहते है?
☆ क्या आप अपने यहां WARDC (New Delhi) की फ्रेंचाईजी या प्रशिक्षण/चिकित्सा केन्द्र या शाखा खोलना चाहते है?
☆ क्या आप अपने क्षेत्र में खादीग्रामोद्योग का विक्रय केन्द्र खोलना चाहते है?
☆ क्या आप किसी फार्मेसी या Health Care कम्पनी में सेल्स मैन/प्रोमोटर / वितरक / स्टॉकिस्ट/एजेंट/नैटवर्कर या किसी FitnessCentre/Gym/ योग प्रशिक्षण केन्द्र आदि मे ट्रेनर या व्यायाम शिक्षक या योगा टीचर है तो आप WARDC के Certified Health & Wellness Consultant (Health Professional) बनकर जनता को अपनी आरोग्य सेवायें प्रदान करें।

अतः आप भारत सरकार द्वारा विधिमान्य आयुर्वेदिक संगठन WARDC से जुड़ कर अपना विकास करें।

कृप्या और अधिक जानकारी के लिये निम्न पते पर सम्पर्क करें:-
WORLD AYURVED RESEARCH & DEVELOPMENT COUNCIL
(विश्व आयुर्वेद अनुसंधान एवं विकास परिषद्)
केन्द्रीय कार्यालयः प्लाट न० 4, चन्द्रापार्क, द्वारका मोड़ हाईवे (NSIT के सामने) नई दिल्ली-110078
हेल्पलाईनः 09868422283, 09654886532, 09212412283 Whatsap: 9650380366
ईमेलः waradc@gmail.com वैबसाईटः www. worldayurvedresearch.com
मिलने का समय प्रातः 10 बजे से शाम 7 बजे तक (कृपया आने से पूर्व सूचित करें)
नोटः WARDC संस्थान का प्रोस्पैक्ट निःशुल्क मंगवाने हेतु अपना नाम-पता पिन कोड सहित SMS करें।

आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति है अतः इसे अपनाये

नाम-पावर-रोजगार हेतु सूचना

क्या आप प्रेस-रिपोर्टर बनना चाहते है?

यदि हाँ ! तो आप दिल्ली टाइम्स न्युज मीडिया में अपने इलाके के पत्रकार बनकर जनता की आवाज बुलंद करें:-

DELHI TIMES NEWS
The National Press & TV News Media
E-mail: delhitimesnews@gmail.com
Website: www.delhitimesnews.com

क्या आप एक SOCIAL ACTIVIST बनना चाहते है?

यदि हाँ! तो आप अपराध, भ्रष्टाचार, अन्याय व शोषण के खिलाफ हमारे राष्ट्रीय-आंदोलन में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करें। इस हेतु हमारे NGO में आपका स्वागत है:-

C. F. I. B. NATION FORCE
CRIME FREE INDIA BUREAU
The National Anti Crime Force
Website: www.crimefreeindiabureau.com, crimefreeindia.com E- mail: cfibforce@gmail.com

आयुर्वेद में रोजगार भी-परोपकार भी

तो आप हमारे आयुर्वेद मिशन में शामिल होकर अपना स्वयं का आयुर्वेदिक व्यवसाय आरम्भ करे या आयुर्वेद उपचार पद्धति सीखकर अपनी मेडिकल प्रेक्टिश शुरू करे। यदि आप पहले से ही अनरजिस्टर्ड परन्तु अनुभवी डाक्टर है तो आप Certified Medical Practitioner (CMP) बनकर खुलकर अपना चिकित्सा व्यवसाय करें।

WORLD AYURVED RESEARCH & DEVELOPMENT COUNCIL
(विश्व आयुर्वेद अनुसंधान एवं विकास परिषद्)
ईमेलः waradc@gmail.com वैबसाईटः www. worldayurvedresearch.com

मान्य ऐलोपैथी मेडीकल प्रेक्टिशनर (AMP) बनें

भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट व WHO द्वारा मान्यता प्राप्त CMS & ED कोर्स पास करके आप अग्रेंजी दवाईयो में अपनी Clinic खोलकर प्रेक्टिस करें।

SHAHID GANGA RAM INSTITUTE OF HEALTH TRAINING
Run by Regd. NGO Under IT Act 1882 with Govt. of Delhi Vide No. 1903/10
E-mail : gangaramhealth@gmail.com Website: www.gangaraminstitute.com

कृपया उपरोक्त संगठनों से संबंधी अधिक जानकारी के लिए निम्न पते पर शीघ्र सम्पर्क करें:-
केन्द्रीय कार्यालयः प्लाट न० 4, चन्द्रा पार्क, द्वारका मोड़ हाईवे (NSIT के सामने) नई दिल्ली-110078
हेल्पलाईनः 09868422283, 09654886532, 09212412283
मिलने का समय प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक (कृपया आने से पूर्व सूचित करें)

।। नारी तू नारायणी भी तू चंडी भी तू।।

महिला सेवा-सुरक्षा-सहायता कार्यक्रम

★ क्या आपको दहेज प्रताड़ना दी जा रही है?
★ क्या आपका यौन शोषण किया जा रहा है?
★ क्या आप किसी जुर्म-जुल्म-जब्र की शिकार है?
★ क्या आप के साथ आपके पति या सुसराल द्वारा घरेलु हिंसा की जा रही है?
★ क्या आपको डराया/धमकाया/मारा पीटा जा रहा है?
★ क्या आप गरीब विधवा या तालाक शुदा महिला है और स्वयं आत्मनिर्भर बनना चाहती है?
★ क्या आप बेरोजगार या कम आय वाली महिला है और आर्थिक उन्नति करना चाहती है?
★ क्या आप एक शिक्षित महिला है और अपना कैरियर बनाना चाहती है?
★ क्या आप अविवाहित युवती है और कोई योग्य वर चाहती है?
★ क्या आप विकलांग / अशक्त महिला है और कुछ मदद चाहती है?
★ क्या आप कमजोर, लाचार या असहाय महिला है और कोई सहारा चाहती है?
★ क्या आप के साथ किसी लड़के या लड़को के समुह अथवा सड़क छाप मंजनूओं या आवारा - लोफर - लुच्चों अथवा मनचलो द्वारा छेड़खानी/पीछा/जबरन रास्ता रोकना/ भद्दे कमेटं या कोई अभद्र व्यवहार तो नही किया जा रहा है?
★ क्या आप सम्पन्न/सक्षम महिला है और दीन-हीन (बेसहारा) महिलाओ की मदद करना चाहती है?
★ क्या आप Social Activist है और Women Empowerment के लिये कार्य करना चाहती है?

यदि हाँ! तो आप अपने पूरे विवरण के साथ शीघ्र हमारे कार्यालय से सम्पर्क करें:-

महिलाओ के कल्याण-विकास व सशक्तिकरण की दिशा में समर्पित संस्था

NWF स्त्री शक्ति
NATIONAL WOMEN FORCE
राष्ट्रीय महिला सेना

National HQ : Plot No. 4, Chandra Park (Opp. NSIT), Dwarka Mod Highway, New Delhi-110078
Helplines : 09968004686, 09210460484, 09350082541 Tele: 011-25333383
Email: mediaforceindia@gmail.com Website: www.nationalmediaforceindia.com

।। यत्र नारी पूज्यंते तत्र देवता रमणते।।

भारतीय संविधान परिवर्तन के दौर में भी समय और समाज की हर चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने में पूर्ण सक्षम

पटना: ''भारतीय संविधान परिवर्तन के दौर में समय और समाज की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने में सक्षम रहा है। इसकी नमनीयता, सरलता और स्पष्टता के फलस्वरूप बदलाव के दौर में भी हर तरह की स्थितियों का सामना करने में कोई कठिनाई नहीं हुई है। भारतीय संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप-विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका-सबने अपने-अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया है, जिसमें भारतीय गणतंत्र एवं लोकतंत्र को ताकत मिली है।'' उक्त उद्‌गार महामहिम राज्यपाल लाल जी टंडन ने संविधान दिवस समारोह को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किये।

राज्यपाल ने कहा संविधान के अनुरूप भारत में न्यायपालिका स्वतंत्रतापूर्वक संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप न्याय सुलभ कराने का काम करती है। उन्होंने कहा कि शासन-व्यवस्था के तीनों अंगों ने पूरी स्वतंत्रता, समन्वय और अपने-अपने दायित्वों-बोध के साथ काम कर भारतीय लोकतंत्र को वैश्विक प्रतिष्ठा दिलायी है।

राज्यपाल ने कहा कि संविधान के अनुरूप अटूट आस्था से ही भारतीय लोकतंत्र सुदृढ़ होगा। उन्होंने कहा कि संविधान-प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करने के साथ-साथ प्रत्येक नागरिक को देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का भी बोध होना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि न्यायपालिका में लंबित वादों के त्वरित निष्पादन पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है, ताकि सस्ता और सुगम न्याय आम गरीब को भी उपलब्ध हो सके। श्री टंडन ने कहा कि समाज के अभिवंचित वर्ग को जब तक संविधान प्रदत्त अधिकार सुगमता से उपलब्ध होते तब तक समाज में पूरी खुशहाली और संतोष व्याप्त नहीं होगा।

श्री टंडन ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुपालन के प्रति जन-जागरूकता विकसित करने के उद्देश्य से 'संविधान दिवस' बड़े पैमाने पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान देश और समाज में जीवन-व्यवस्था को नियमित, नियंत्रित एवं सुसंचालित करता है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति श्री अमरेश्वर प्रताप शाही ने कहा कि भारतीय संविधान मानवीय और सांस्कृतिक मूल्यों, संवेदनाओं और नैतिकता की दृष्टि से पूरी दुनिया में सर्वोत्कृष्ट संविधान है। उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर में भी भारतीय संविधान हमें हर तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी शक्ति, विवेक और कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। मुख्य न्यायाधिपति ने कहा कि संविधान दिवस के आयोजन से व्यक्ति और समाज में अपने अधिकारों के प्रति संचेतना तथा दायित्वों के प्रति सजगता बढ़ती है।

बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न, सड़क दुर्घटना, आपसी कलह जैसे मामलों में कमी आई

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नशा मुक्ति दिवस आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि 2011 से ही 26 नवम्बर के दिन मद्य दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। लोग शराब का सेवन कम करें, इसके लिए निरंतर सामाजिक अभियान चलाया गया, साथ ही शराब मुक्त समाज बनाने की दिशा में लगे लोगों को पुरस्कृत करने का काम किया। 1 अप्रैल 2016 से बिहार में देशी शराब पर पाबंदी लगाई गयी। इसका असर इतना व्यापक हुआ कि 5 अप्रैल 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति, दहेज प्रथा एवं बाल विवाह हमारे दृढ़ निश्चय का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पूर्ण शराबबंदी के बाद भी चोरी-छिपे चंद धंधेबाज और विकृत मानसिकता के लोग छोटे बच्चों का उपयोग कर शराब की आपूर्ति करने में लगे हैं, जिन पर कार्रवाई हो रही है। शराब सेवन से स्वास्थ्य और समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के संदर्भ में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के एक जिस्ट का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाईजेशन के अध्ययन के मुताबिक वर्ष 2016 में दुनिया भर में जितनी मौतें हुई उसमें 5.3 प्रतिशत मौत शराब सेवन से हुई। उन्होंने कहा कि टी0वी0, एच0आई0वी0 और मधुमेह से होने वाली मौत की तुलना में शराब सेवन से मौत अधिक हुई है। वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाईजेशन के रिपोर्ट के अनुसार शराब 200 से अधिक बीमारियों को बढ़ाता है। शराब सेवन से कैंसर, एड्स, टी0वी0, लीवर, दिल की बीमारी, मानसिक बीमारी, आनुवांशिक बीमारियों के साथ ही मनुष्य हिंसक प्रवृत्ति का शिकार हो जाता है। दुनिया भर में जो आत्महत्याएं हो रही है उसमें 18 प्रतिशत सुसाइड की घटनाएं शराब के कारण हो रही है। विश्व भर में 18 प्रतिशत मिर्गी के कारण मौत की घटनाएँ शराब के कारण ही हुआ करती है। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न, सड़क दुर्घटना, आपसी कलह जैसे अन्य कई मामलों में कमी आई है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी से सबसे अधिक गरीब-गुरबों को फायदा हुआ है और पूरे बिहार में शांति का माहौल कायम है।

सीएफआईबी पंजाब व ग्लोबल मेडिकल हेल्थ इन्सिटट्यूट का सयुक्त कार्यक्रम

सीएफआईबी पंजाब व ग्लोबल एण्ड मेडिकल इन्सिटट्यूट, नई दिल्ली के संयुक्त तात्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय चेयरमैन माननीय डॉ. जसबीर आर्य एवं प्रदेश अध्यक्ष डॉ. आर.के. पाण्डेय अपने कार्यकर्त्ताओं के साथ।

सैर कर दुनिया की ग़ाफ़िल ज़िंदगानी फिर कहाँ

फारुक अंसारी
सीएफआईबी बिहार

आखिर हम दुनिया में आये मगर दुनिया क्या है पता न था। फिर लोगों ने बताई दुनिया क्या चीज है उसमें कुछ याद रहा और कुछ भूल गये। दुनिया के प्रति जिज्ञासा इतनी बढ़ी की कोसों दूर मुक्त आकाश की पक्षियों की भाँति विचरण करने लगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारी आदिम प्रकृति है। इस प्रकृति ने हमें यायावर बनाया और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह महापंडित राहुल सांकृत्यायन ख़्वाजा मीर 'दर्द' की कविता–'सैर कर दुनिया की ग़ाफ़िल ज़िंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहाँ' पढ़ के दुनिया में आगे बढ़ते गये। अब मुझे पता चला कि ह्वेनसांग और फाहियान बिहार कैसे आये। कैसे महाँत्मा गाँधी और महात्मा बुद्ध हमारे प्रेरणा स्त्रोत हैं? बहरहाल, आज के बिहार महात्मा बुद्ध के जमाने के विहार नहीं मगर विहार ही तो है। आज हम इसे बिहार कह रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने अलार कलाम नामक संत से दीक्षा ली थी। महापरिनिर्वाण के कुछेक दिन तक जिस स्थान पर जिये और अपने शिष्यों को भिक्षा–पात्रा देकर लौटा दिये। ज्ञान के इस भंडार भरे तीर्थ के दीदार के लिए दुनिया भर के लोग आ रहे है।

एक संयोग है कि डॉ0 आर्य के साथ यायावर की भूमिका में निकल पड़ा हूँ। आज के दिन का सैर –विश्व के सबसे बड़े बौद्ध स्तूप 'केसरिया' से शुरू है। बिहार के पूर्वी चम्पारण के यह छोटे–से नगर केसरिया प्राचीन महत्व के स्थल है। जिसे केसरिया स्तूप के नाम से जाने जाते हैं। इस स्थान पर एक बहूमंजिले स्तूप में बुद्ध की मूर्तियाँ हैं। यह प्रमाणित है कि महात्मा बुद्ध यहाँ ठहरे थे। इसी जगह पर महापरिनिर्वाण के कुछ दिन बाद सम्राट अशोक ने स्मरण के लिए स्तूप बनवाये कहे जाते है कि मगध सम्राट अजातशत्रु ने स्तूप का निर्माण कराया।

विशाल क्षेत्र में फैले लगभग 200 ईस्वी से 750 ईस्वी के इस केसरिया स्तूप को बार–बार 'देवला' में उलझाये जाने और देवभूमि 'देवल बताये जाने की गूगल विकीपीडिया के माध्यम से प्रयास की सुधिजन शोध का विषय मानते है। हालांकि 2001 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन पुरातत्व अधीक्षक मोहम्मद के. के. ने अपने शोध में इंडोनिशिया के जावा स्थित बोरबोडोर स्तूप से अधिक बड़ा स्तूप मानते है। इस आधार पर केसरिया बौद्ध स्तूप संसार का सबसे बड़ा स्तूप है। आज मैं एकाएक दुनिया के पटल पर छाये अपने अतीत को देखकर गौरान्वित हूँ। अचानक मेरे मुँह में एक ही लफ़्ज है–''क्या खूब सौदा नक्द है, इस हाथ ले इस हाथ दे।''

डुमरिया पुल पर सरकार की कोई एक्शन नहीं

सीएफआईबी बिहार

मुजफ्फरपुर : जरूरत की हर छोटी बड़ी चीज बड़ी मायने रखती है। ऐसे में सरकार या संबंधित विभाग एक्शन में आयी तो कार्य होती है नहीं तो एक दिन इसकी कीमत जनता को चुकानी पड़ती है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग 27 जानपुर रोड पुल की जर्जरता देखकर हर समय यह आशंका बनी होती है की कब दुर्घटना हो जाए। दुर्घटना से बचने के लिए जब तक दूसरी कोई आवागमन की व्यवस्था नहीं हो पाती मरम्मत के लिए सरकार को बंद कर देना ही हितकर है। जानकारी हो कि नेपाल बार्डर करीब होने से बाढ़ और भूकम्प से खतरा बना है।

कश्मीरी पत्थरबाज आतंकियों के समर्थन में आतंकवादी को जिन्दा बचा ले गए देशद्रोही

जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ होती रहती है और आए दिन सुरक्षा बल किसी न किसी आतंकी को एनकाउन्टर में मौत की घाट सुलाते रहते हैं। इस बार बड़गाम में ऐसा ही हुआ जब सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ के दौरान लश्कर-ए-तैयबा की आतंकी नवीद जट को मार गिराया। मारा गया आतंकी कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या में शामिल था। मारे गए आतंकी नवीद जट के साथ और दो आतंकवादी थे जिसमें नवीद जट और उसका दूसरा साथी भी मारा गया। लेकिन तीसरा साभी भी सुरक्षा बलों से मुठभेड़ कर रहा था जिसमें उसका भी माना जाना तय माना जा रहा था तभी स्थानीय पत्थरबाज उस आतंकी के समर्थन में आ गए और घेरा बना कर आतंकी की सुरक्षा बलों के हाथों जिन्दा बचा ले गए। मोस्ट वांटेड आतंकवादी नवीद जट का मार गिराया जाना सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी है। नवीद जट लश्कर-ए-तैयबा का टॉप लश्कर कमांडर था।

जानकारी हो कि शुजात बुखारी राईंजिंग कश्मीर के सम्पादक थे जो हमेशा पाक प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ थे। जिनकी हत्या आतंकवादियों ने कर दी। भारतीय सेना द्वारा आतंकी नवीद जट को मार गिराना वरिष्ठ पत्राकार शुजात बुखारी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है।

(फरहान कासिम यूपी से)

.....मॉब लिंचिंग खतरनाक ट्रैंड पुलिस सतर्कता जरूरी

शेष पृष्ठ-1 का

खबरों के मुताबिक खुर्जा बुलंदशहर, युपी निवासी कासिम की हत्या, झारखंड में रांची के करीब 40 किलोमीटर दूर रामगंढ़ के बाजाटांड में अलीमुद्दीन की पीट-पीट कर हत्या, राजस्थान के बहरोड़ में पहलू खान की पीट पीट कर हत्या, राजस्थान के ही अलवर में रकबर पर हमले और उसकी पुलिस अभिरक्षा में मौत लोगों के भरकाउं कदम साबित हो रही है।

बहरहाल उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्यों और केन्द्रों शासित प्रदेशों को दोबारा जारी परामर्श में कहा गया है कि देश के कुछ हिस्सों में भीड़ द्वारा हिंसा और हत्या की घटनाएँ विभिन्न तरह की अफवाहों और अपुष्ट खबरों, जैसे बच्चा उठाने, चोरी या मवेशियों की तस्करी, के बाद फैलीं। ये गहन चिंता का विषय है। लोगों के कानून को हाथ में लेने की ऐसी घटनाएँ कानून के शासन के मौलिक सिद्धांतों के विपरीत हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय फिलहाल केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों के प्रत्येक जिलों में पुलिस अधीक्षक स्तर के एक अधिकारी को नियुक्त करने, खुफिया जानकारी जुटाने के लिए विशेष कार्यबल बनाने और सोशल मीडिया पर आने वाली सामग्री पर करीबी नजर रखने को कहा गया है।

इधर, एक मोब लिंचिंग के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में कथित गाय वध पर हिंसक संघर्ष के दौरान एक पुलिस अधिकारी समेत दो लोगों की मौत के बारे में मीडिया रिपोर्टो के बारे में मीडिया प्रस्तावों को स्वीकार किया है। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी किए है, जिसमें चार हफ्तों के भीतर इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। आयोग ने पाया है कि रिपोर्ट की गई घटना हिंसक विरोध की एक और घटना का संकेत है ओर संवेदनशील मुद्दों और परिस्थितियों में निपटाने के लिए प्रशासन की विफलता और प्रशासन की विफलता को उजागर करने वाली असंगत भीड़ द्वारा छेड़छाड़ की गई है। मीडिया रिपोर्टो की सामग्री सुझाव देती है कि यहां तक कि पुलिस अधिकारी भी सुरक्षित नहीं दिखते हैं और अनियंत्रित कानूनहीन तत्वों की स्वतंत्र इच्छा से आसानी से समाप्त हो सकते हैं। तत्काल घटना में मृत व्यक्तियों के जीवन का अधिकार पूरी तरह से उल्लंघन किया गया है। जो आयोग के लिए चिंता का विषय है। सार्वजनिक संपत्ति और नागरिकों के जीवन की सुरक्षा राज्य का मुख्य कर्तव्य है और आयोग ऐसी परिस्थतियों में राज्य प्राधिकरणों से प्रभावी और त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा करता है ताकि कानून के उल्लंघन करने वालों को एक मजबूत संदेश दिया जा सके।

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, महाव गांव के कुछ स्थानीय लोगों ने पास के जंगल में गायों के शवों को देखा। कुछ आंदोलनियों ने एक ट्रैक्टर पर शवों को लोड किया और बुलंदशहर शहर के पास सियाना-गढ़ राजमार्ग पर चिंगरावती पुलिस पद के पास रखा। जमाव ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे उठाए और बुलंदशहर-गढ़ राज्य राजमार्ग को अवरूद्ध कर दिया। हिंसक भीड़ वाहन और पुलिस पोस्ट सहित सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने पर चला गया। रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस अधिकारी को सिर में गोली मार दी गई थी।

.....कौमी एकता जागरूकता कार्यक्रम

शेष पृष्ठ-1 का

इस दिन बीस सूत्रीय कार्यक्रम के विषयों पर बल दिया जाता है। दंगा संभावित शहरों में विशेष सौहार्द जुलूस निकाले जाते हैं तथा 21 नवम्बर को भाषायी सौहार्द दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर देश के प्रत्येक क्षेत्र के लोगों को दूसरे हिस्सों की भाषायी विरासत की जानकारी देने के लिए विशेष साक्षरता कार्यक्रम और कवि सम्मेलन आयोजित किया जाता है। वहीं 22 नवम्बर को कमजोर वर्ग दिवस मनाया जाता है और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा कमजोर वर्गों की सहायता के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं को बताने के लिए बैठकें और रैलियां की जाती है। जिसमें भूमिहीन श्रमिकों को जमीन वितरण पर बल दिया जाता है। तथा 23 नवम्बर को सांस्कृतिक एकता दिवस मनाया जाता है और विविधता में भारतीय परम्पराओं की एकता दिखाने वाले सांस्कृतिक आयोजन किये जाते हैं। डॉ. करीम ने कहा कि 24 नवम्बर को महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारतीय समाज में महिलाओं के महत्व और राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका को बताया जाता है। वहीं 25 नवम्बर को संरक्षण दिवस मनाया जाता है और उस दिन पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए अनेक बैठकें और कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। उन्होंने कहा कि कौमी एकता सप्ताह मानने से वास्तविक और संभावित खतरों से निबटने में देश की अन्तर्निहित दृढ़ता उजागर करने में सहायता मिलती है, अपने देश का धर्मनिरपेक्ष ताना बाना मजबूत होता है और साम्प्रदायिक सदभाव की भावना बढ़ती है। आगे कहा कि कौमी एकता सप्ताह सहिष्णुता सह अस्तित्व तथा भाईचारे के मूल्यों और सदियों पुरानी परम्पराओं के प्रति संकल्प व्यक्त करने का अवसर हैं 25 नवम्बर को राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने के लिए एनएफसीएच साम्प्रदायिक सौहार्द झंडा दिवस मनाता है। कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन श्रीमती किरण देवी ने किया।

बिहार में रिश्वत लेने का पर्दाफाश-रिकॉर्ड

सीएफआईबी बिहार

पटना -वर्ष 2018 के अंदर पूरे बिहार में तकरीबन 37 रिश्वतखोर रंगे हाथ गिरफ्तार किये गये जो किसी मजबूरी या रोटी के लिए गलत रास्ते पर नहीं आये नहीं वे कम पढ़े-लिखे लोग हैं जिनके पास रोजी-रोजगार की कमी है, ये सरकारी दम पर जीने वाले भ्रष्ट लोग है जिसके बारे में बिहार सरकार का विजिलेंस विभाग का रिकॉर्ड बताता है कि अब इनकी जगह जेल है।

रिकॉर्ड के मुताबिक 22.12.18 को निगरानी थाना कांड संख्या-059/18 में 45,000 रिश्वत लेते अनुप लाल मंडल, पंचायत सचिव-सह प्रभारी पंचायती राज पदाधिककारी ग्राम पंचायत पुरैनी दक्षिणी, प्रखण्ड जगदीशपुर, जिला-भागलपुर जगदीशपुर प्रखण्ड, भागलपुर स्थित पंचायत सचिव के कक्ष से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

रिकॉर्ड के मुताबिक 20.12.18 को निगरानी थाना कांड संख्या-058/18 में 1,91,000 रिश्वत लेते नवल कुमार, कनीय अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, विशेष कार्य प्रमंडल, बेतिया जिला-बेतिया, पटना क्षेत्रान्तर्गत मिठापुर बस स्टैंड पुल से दक्षिण मिठाई के दूकान से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

रिकॉर्ड के मुताबिक 07.12.18 को निगरानी थाना कांड संख्या-055/188 में 20,000 रिश्वत लेते अजीत कुमार, लिपिक, अवर प्रमंडल, पशुपालन पदाधिकारी कार्यालय, जमुई जिला-जमुई, पशुपालन पदाधिकारी के कार्यालय से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

06.12.18 को निगरानी थाना कांड संख्या-054/18 में 75,000 रिश्वत लेते सुभाष कुमार गुप्त, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बिहार शरीफ, जिला-नालंदा को हॉस्पीटल रोड, आनन्द मार्ग स्थित नालंदा भवन प्रमंडल, बिहार शरीफ का कार्यालय कक्ष से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

30.11.18 को निगरानी थाना कांड संख्या- 052/18 में 5,000 रिश्वत लेते सुनील कुमार मंडल, सहायक अवर निरीक्षक, गिरीयक थाना, जिला-नालंदा को 5 सहायक निरीक्षक,गिरीयक थाना परिसर से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

29.11.18 को निगरानी थाना कांड संख्या-051/1 में 60,000 रिश्वत लेते अवधेश कुमार सिंह, औषधि निरीक्षक, सिविल औषधि निरीक्षक, सिविल सर्जन कार्यालय, दरभंगा, जिला-दरभंगा एवं इनके आदेशपाल राजेन्द्र यादव, सिविल सर्जन कार्यालय दरभंगा, लहेरिया सराय स्थित औषधि निरीक्षक के कार्यालय कक्ष से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

17.11.18 को निगरानी थाना कांड संख्या-050/18 में, 1,67,000 रिश्वत लेते उमाशंकर प्रसाद, प्रमुख सहायक, नगर परिषद्, दानापुर तथा इनके दलाल रामाशंकर भारती, गोला रोड, पटना स्थित भारत पेट्रोलियम पम्प के पास रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

17.11.18 को निगरानी थाना कांड संख्या- 049/18 में 6,00,000 रिश्वत लेते ओमप्रकाश प्रसाद, अपर समाहर्ता, बेगुसराय, जिला- बेगुसराय, ऑफिसर्स कॉलोन, बेगुसराय स्थित सरकारी आवास से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

01.11.18 को निगरानी थाना कांड संख्या-048/18 में 55,000 रिश्वत लेते मो0 शाह आलम, अंचलाधिकारी, निर्मली प्रखंड, जिला-सुपौल, निर्मली सरकारी आवास से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया ।

31.10.18 को निगरानी थाना कांड संख्या-047/18 में 5,000 रिश्वत लेते मुन्ना कुमार, ग्रामीण आवास सहायक, बरनॉव पंचायत, प्रखंड जगदीशपुर, जिला-भोजपुर, रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

11.10.18 को निगरानी थाना कांड संख्या-046/18 में 40,000 रिश्वत लेते संतोष कुमार राम, सहायक अवर निरीक्षक, शिकारपुर थाना, जिला-पश्चिमी चम्पारण, शिकारपुर थाना परिसर से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

11.10.18 को निगरानी थाना कांड संख्या- 045/18 में 1,00,000 रिश्वत लेते शशिकान्त चतुर्वेदी, राज्यकर उपायुक्त, खगड़िया अंचल, जिला-खगड़िया, आफिसर कॉलोनी, मु0 चित्रगुप्त नगर, खगड़िया स्थित अपने सरकारी आवास से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

17.11.18 को निगरानी थाना कांड संख्या- 049/18 में 6,00,000 रिश्वत लेते ओमप्रकाश प्रसाद, अपर समाहर्ता, बेगुसराय, जिला- बेगुसराय, ऑफिसर्स कॉलोन, बेगुसराय स्थित सरकारी आवास से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

01.11.18 को निगरानी थाना कांड संख्या-048/18 में 55,000 रिश्वत लेते मो0 शाह आलम, अंचलाधिकारी, निर्मली प्रखंड, जिला-सुपौल, निर्मली सरकारी आवास से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया ।

31.10.18 को निगरानी थाना कांड संख्या-047/18 में 5,000 रिश्वत लेते मुन्ना कुमार, ग्रामीण आवास सहायक, बरनॉव पंचायत, प्रखंड जगदीशपुर, जिला-भोजपुर, रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

11.10.18 को निगरानी थाना कांड संख्या-046/18 में 40,000 रिश्वत लेते संतोष कुमार राम, सहायक अवर निरीक्षक, शिकारपुर थाना, जिला-पश्चिमी चम्पारण, शिकारपुर थाना परिसर से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

11.10.18 को निगरानी थाना कांड संख्या- 045/18 में 1,00,000 रिश्वत लेते शशिकान्त चतुर्वेदी, राज्यकर उपायुक्त, खगड़िया अंचल, जिला-खगड़िया, आफिसर कॉलोनी, मु0 चित्रगुप्त नगर, खगड़िया स्थित अपने सरकारी आवास से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

09.10.18 को निगरानी थाना कांड संख्या-044/18 में 5,000 रिश्वत लेते राजाराम सिंह, उजरत अमीन, राजगीर अचंल, जिला-नालंदा, गोपाल सिंह पो0-स्व0 राघो सिंह, सा0-पिलखी, थाना-राजगीर जिला-नालंदा के मकान में स्थित आवास-सह-कार्यालय से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

05.10.18 को निगरानी थाना कांड संख्या-043/18 में 5,000 रिश्वत लेते अरूण ठाकुर, ग्रामीण आवास सहायक, अलौली प्रखंड, जिला-खगड़िया, पटेल चौक से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

26.09.18 को निगरानी थाना कांड संख्या-042/18 में 3,000 रिश्वत लेते नीरज कुमार, लिपिक, सामान्य भविष्य निधि निदेशालय, पन्त भवन, पटना से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

14.09.18 को निगरानी थाना कांड संख्या-040/18 में 30,000 रिश्वत लेते मो0 अख्तर, कार्यालय सहायक, बाल विकास परियोजना, प्रखंड-सिकन्दरा, जिला-जमुई एवं राकेश कुमार, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

05.09.18 को निगरानी थाना कांड संख्या-038/18 में 2,57,000 रिश्वत लेते राजीव रंजन, प्रोग्राम पदाधिकारी, मनरेगा, सोनबरसा, अतिरिक्त प्रभार सिमरी बख्तियारपुर जिला-सहरसा, कायस्थ टोला, सहरसा स्थित प्रियंक राज के मकान में लिए गये किराये के आवास में रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

01.09.18 को निगरानी थाना कांड संख्या-037/18 में 10,000 रिश्वत लेते मो0 रशीद खां, सहायक अवसर निरीक्षक, मोहनियां थाना, जिला-कैमूर, मोहल्ला शिवपुर दरोगा सिंह के मकान में लिए गये किराये के आवास में रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

30.08.18 को निगरानी थाना कांड संख्या-036/18 में 20,000 रिश्वत लेते रामाश्रय राम, कनीय अभियंता, बरबीघा,जिला-शेखपुरा एवं अजय कुमार, मानव बल मिस्त्री,बरबीघा, उनके कार्यालय से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

21.08.18 को निगरानी थाना कांड संख्या-035/18 में 1,00,000 रिश्वत लेते जयवर्द्धन गुप्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी, घोसवरी, प्रखंड-मोकामा, जिला-पटना, मोलदियार टोला, मोकामा स्थित छोटन सिंह के मकान में लिए गये किराये के आवास से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

07.08.18 को निगरानी थाना कांड संख्या-034/18 में 50,000 रिश्वत लेते अनुज कुमार, मुखिया, ग्राम पंचायत पथरौरा, प्रखंड-राजगीर जिला-नालंदा, प्रखंड कार्यालय, राजगीर स्थित मनरेगा कार्यालय, सामान्य शाखा से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

03.08.18 को निगरानी थाना कांड संख्या-033/18 में 8,000 रिश्वत लेते विनय कुमार सिंह, सहायक अवसर निरीक्षक, चौक थाना, पटना सिटी जिला-पटना को थाना के समीप रोड पर रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

02.08.18 को निगरानी थाना कांड संख्या-032/18 में 15,000 रिश्वत लेते श्रीमति वर्षा तर्वे, प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामपुर, जिला-कैमूर, सरकारी आवास से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

25.07.18 को निगरानी थाना कांड संख्या-029/18 में 10,000 रिश्वत लेते मदन यादव, पुलिस अवसर निरीक्षक, एकंगर सराय थाना, जिला-नालंदा, एकंगर सराय बाजार स्थित अनिल सिंह के मकान में लिए गये किराये के आवास से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

शेष पृष्ठ-05

सरकारी फिजूलखर्ची...? ....इसे क्या कहेंगे...??....

सीएफआईबी, बिहार

पटना: लाखों-करोड़ों से बने जल मीनारों से एक बूंद पानी नही साब ! जनता को इसका लाभ मिले ना मिले परन्तु काम ऐसे ही हवा-हवाई है। बिहार के नगर पंचायतों में बहुत-से ऐसे जल मीनार मिलेंगे जहां की जनता को एक दिन भी पानी नसीब नहीं हो सका और बिना काम का सरकारी धन पानी के तरह बहाया गया। इस बार हर घर नल-जल योजना का आग़ाज तो अच्छा है मगर अंजाम खुदा जाने.....

आपको जानकर अति हर्ष होगा की जानी मानी आयुर्वेदिक अनुसंधान WARDC ने होर्नेट आसाम गोल्ड चाय को प्रमाणित किया है। होर्नेट आसाम गोल्ड चाय WARDC वर्ल्ड आयुर्वेद रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की अत्यन्त आभारी है, और WARDC, CFIB और दिल्ली टाईम्स' के समस्त परिवार को होर्नेट आसाम गोल्ड चाय की खरीद पर विशेष डिस्काउंट उपलब्ध है। कम पढ़े-लिखे पार्ट टाईम जॉब इच्छुक के लिए यह सुनहरा मौका है, यह प्रबंध घोषणा की गई है। सम्पर्क-07703933094

ऐकबार विदाई दे मां घुरे आसि, हासी-हासी पॉरबो फांसी, देखबे भारतवासी...

मुजफ्फरपुर : खुदीराम बोस का जन्म 03 दिसम्बर 1889 को बंगाल के मिदनापुर में हुआ था। पिता लैलोक्यनाथ बसु राजा कारनौल के यहां नौकरी करते थे। उनकी तीन पुत्रियां थीं- अपरूपा, सरोजनी और ननीबाला। परंतु जब खुदीराम बोस का बचपन खेलने कुदने योग्य भी नहीं हो पाया था कि उनके सर से मां-बाप का साया उठ गया। बड़ी बहिन अपरूपा ने खुदीराम बोस को संभाला।

खुदीराम बोस बचपन से उग्र स्वभाव के थे। उनमें सामाजिक-न्याय की तड़प और कुछ कर गुजरने की तमन्ना करबटें लेने लगी थी। जब वे मात्र 13-14 वर्ष के रहे होंगे उनकी मुलाकात प्रमुख क्रांतिकारी बाबू सत्येंन्द्रनाथ से हुई और वे अंग्रेजी शासन के विरूद्ध चलने वाली गुप्त मंत्रणाओं में शामिल होने में लग गए। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो उसके विरोध में सड़कों पर उतरे अनेकों भारतीयों को उस समय के कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्जफोर्ड ने क्रूर दण्ड दिया। अन्य मामलों में भी उसने क्रान्तिकारियों को बहुत कष्ट दिया था। इसके परिणामस्वरूप किंग्जफोर्ड को पदोन्नति देकर मुजफ्फरपुर में सत्र न्यायाधीश के पद पर भेजा। 'युगान्तर' समिति कि एक गुप्त बैठक में किंग्जफोर्ड को ही मारने का निश्चय हुआ। इस कार्य हेतु खुदीराम तथा प्रफुल्ल कुमार का चयन किया गया। खुदीराम बोस को एक बम और पिस्तौल दी गयी। प्रफुल्ल कुमार को भी एक पिस्तौल दी गयी। मुजफ्फरपुर में आने पर इन दोनों ने सबसे पहले किंग्जफोर्ड के बंगले की निगरानी की। उन्होंने उसकी बग्घी तथा उसके घोड़े का रंग देख लिया था। खुदीराम बोस किंग्जफोर्ड को उसके कार्यालय में जाकर ठीक से देख भी आए। 30 अप्रैल 1908 को ये दोनों नियोजित काम के लिये बाहर निकले और किंग्जफोर्ड के बंगले के बाहर घोड़ागाड़ी से उसके आने की राह देखने लगे। बंगले की निगरानी हेतु वहाँ मौजूद पुलिस के गुप्तचरों ने उन्हें हटाना भी चाहा परन्तु वे दोनों उन्हें योग्य उत्तर देकर वहीं रूके रहे। रात में साढ़े आठ बजे के आसपास क्लब के किंग्जफोर्ड की बग्घी के समान दिखने वाली गाड़ी आते हुए देखकर खुदीराम बोस गाड़ी के पीछे भागने लगे। रास्ते में बहुत अँधेरा था। गाड़ी किंग्जफोर्ड के बंगले के सामने आते ही खुदीराम बोस ने अँधेरे में ही आगे वाली बग्घी पर निशाना लगाकर जोर से बम फेंका। बम विस्फोट की आवाज उस रात तीन मील तक सुनाई दी और कुछ दिनों बाद उसकी आवाज इंग्लैंड तथा यूरोप में भी सुनी गयी जब वहाँ इस घटना की खबर ने तहलका मचा दिया। खुदीराम बोस ने किंग्जफोर्ड की गाड़ी समझकर बम फेंका था परन्तु उस दिन किंग्जफोर्ड थोड़ी देर से क्लब से बाहर आने के कारण बच गया। गाड़ियाँ एक जैसी होने के कारण दो यूरोपियन स्त्रियों को अपने प्राण गँवाने पड़े। खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल कुमार दोनों ही रातों-रात नंगे पैर भागते हुए गये और 24 मील दूर स्थित बैनी रेलेव स्टेशन पर जाकर ही विश्राम किया। अंग्रेज पुलिस उनके पीछे लग गयी और बैनी रेलवे स्टेशन पर उन्हें घेर लिया गया।अपने को पुलिस से घिरा देख प्रफुल्ल कुमार ने खुद को गोली मारकर अपनी शहादत दे दी जबकि खुदीराम बोस पकड़े गये। मुकदमा चला और 11 अगस्त 1908 को उन्हें मुजफ्फरपुर जेल (आज के शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा) में फाँसी दे दी गयी। उस समय उनकी उम्र मात्र 18 साल (+) थी।

खुदीराम बोस के क्रांतिकारी जीवन पर आधारित मर्मस्पर्शी उपन्यास 'खुदीराम बोस' 1998 में रूप सिंह चंदेल द्वारा रचित है। इसमें फाँसी के वक्त मुंह बोली मुस्लिम बहन द्वारा राखी बांधना, अपनी बहिन अरूपमा को शासन द्वारा मिलने की इजाजत न देना। हजारो नर-नारियों का फाँसी के वक्त जेल परिसर में दाखिल हो जाने का सजीव चित्रण शामिल है। खुदीराम बोस पर गाए प्रसिद्ध बांग्ला लोक-गीत -

''ऐकबार विदाई दे मां घुरे आसि,
हासी-हासी पॉरबो फाँसी,
देखबे भारतवासी''..

आज भी भावपूर्ण और हृदयस्पर्शी है।

सीएफआईबी बिहार के चेयरमैन डॉ. फारूक अंसारी की अध्यक्षता में किये गए कार्यक्रमों की विभिन्न झलकियाँ

अपराध और दो नंबर कामों में हो जिसका हाथ उसको आप करें मात

राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में और आप बेखबर...?
राष्ट्रहित में देश के नागरिकों से अपील

क्या देश की रक्षा करना केवल सरकार या सेना या पुलिस का ही कर्तव्य है आपका नहीं? यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आपका यह सोच गलत है नहीं खतरनाक भी है। राष्ट्र एकता अखंडता के लिए आप क्राइम फ्री इण्डिया ब्यूरो (CFIB) नैशनल मीडिया फोर्स (NMF) नैशनल सिक्योरिटी एण्ड इंटेलीजैंस फोर्स (NSIF) से जुड़ें।